प्रेस नोट

दिनांक 27.09.2024, थाना खरगूपुर,

जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 221/24 धारा 305, 331(4), 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- 01. राजा बाबू वर्मा पुत्र राम अदालत वर्मा निवासी ग्राम मोता जोत मलारी सालपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को कंचनपुर नहर पटरी के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल (बजाज पल्सर) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र नानबाबू सैनी निवासीग्राम बराराय मल्लापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपर पर सूचना दिये कि दिनांक 17.08.2024 की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा घर में घुसकर मोटरसाइकिल व अन्य कीमती समाना चुरा लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0सं0- 221/24, धारा 305, 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी गई मोटरसाइकिल व अन्य कीमती समानों की बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 27.09.2024 को थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- 01. राजा बाबू वर्मा पुत्र राम अदालत वर्मा निवासी ग्राम मोता जोत मलारी सालपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को कंचनपुर नहर पटरी के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल (बजाज पल्सर) बरामद किया गया।। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजा बाबू वर्मा पुत्र राम अदालत वर्मा निवासी ग्राम मोता जोत मलारी सालपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा

अनावरित अभियोग

01. मु0अ0सं0- 221/24 धारा 305, 331(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना खरगूपुर, जनपद- गोण्डा

बरामदगी-

01. चोरी का 01 अदद मोटरसाइकिल UP43AO7553 (पल्सर) बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मृत्युंजय सिंह
02. का0 रोहित कुमार
03. का0 रविशंकर खरवार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.09.2024, थाना को0 कर्नलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वाछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी को0कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलंगज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-418/24, धारा 137(2), 87 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त मो0शहीम पुत्र मो0 वसीम नि0 चौधरी मोहल्ला थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी को जरवल तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.09.2024 को थाना को0कर्नलगंज क्षेत्र के रहने वाले एक महिला द्वारा थाना को0कर्नलंगज में लिखित तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त मो0शहीम पुत्र मो0 वसीम नि0 चौधरी मोहल्ला थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी को थाना कर्नलंगज पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.09.2024 को जरवल तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो0शहीम पुत्र मो0 वसीम नि0 चौधरी मोहल्ला थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-418/24, धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अंकित सिंह
02. का0 पंकज कुमार
03. का0 दिलीप सिंह
04. म0का0 विनीता यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 27.09.2024, थाना को0 कर्नलगंज

जनपद गोण्डा।

थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी को0कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलंगज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-419/24, धारा 87 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त अकबर अली पुत्र गोगई उर्फ सैय्यद अली निवासी ग्राम खरथरी बाबापुरवा थाना को0कर्नलगंज, जनपद गोण्डा को कर्नलगंज रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.09.2024 को थाना को0कर्नलगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना को0कर्नलंगज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी द्वारा उनकी पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अकबर अली पुत्र गोगई उर्फ सैय्यद अली निवासी ग्राम खरथरी बाबापुरवा थाना को0कर्नलगंज, जनपद गोण्डा को थाना कर्नलंगज पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.09.2024 को कर्नलगंज रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अकबर अली पुत्र गोगई उर्फ सैय्यद अली निवासी ग्राम खरथरी बाबापुरवा थाना को0कर्नलगंज, जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-419/24, धारा 87 बीएनएस थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल
02. हे0का0 अनिल कुमार
03. म0का0 सोनम देवी

मीडिया सेल, गोण्डा।